उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन

परिचय- होम गार्ड्स संगठन की स्थापना भारत सरकार के कम्पेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एवं उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम- 1963 में निहित दिशा निर्देशों एवं प्राविधानों के अंतर्गत हुई है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रदेशों/केन्द्रशासित राज्यों हेतु होम गार्ड्स की 5,73,793 की संख्या का नियतन है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश हेतु 1,18,348 की संख्या निर्धारित है। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन, उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित एवं माननीय मंत्रीजी के नियंत्रणाधीन क्रियाशील विभाग है। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (आई०ए०एस०) एवं मुख्यालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के रूप में कमाण्डेन्ट जनरल (आई० पी० एस०) तैनात होते हैं।

संगठनात्मक ढांचा- होम गार्ड्स विभाग के अंतर्गत होम गार्ड्स मुख्यालय, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, परिक्षेत्रीय डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 02, मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01, मंडलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केंद्र तथा सभी जनपदों में जिला कमाण्डेन्ट के कार्यालय कार्यात्मक इकाइयों के रूप में संचालित हैं-

मुख्यालय स्तर- होम गार्ड्स मुख्यालय स्तर पर कमाण्डेन्ट जनरल होम गार्ड्स के रूप में पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ आई पी एस अधिकारी तैनात होते हैं। मुख्यालय पर निम्नानुसार अधिकारियों के पद सृजित है:-

क्रम संख्या	पद नाम	संवर्ग/स्तर	संख्या
1	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक	भारतीय पुलिस सेवा (IPS)	01
2	संयुक्त महासमादेष्टा	विभागीय	01
3	उप महासमादेष्टा	भारतीय पुलिस सेवा (IPS)	01
4	उप महासमादेष्टा	उ0प्र0 होम गार्ड्स सेवा	01
5	स्टाफ आफिसर टू कमाण्डेन्ट जनरल	मंडलीय कमाण्डेन्ट (ग्रेड-2/ग्रेड-1) स्तर	01
6	वित्त नियंत्रक	वित्त एवं लेखा सेवा	01
7	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड-01 स्तर	01
8	चिकित्साधिकारी	प्रान्तीय चिकित्सा सेवा	02
9	कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी	जिला कमाण्डेन्ट स्तर	02
10	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लिपिकीय संवर्ग सेवा	01
11	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लिपिकीय संवर्ग सेवा	01
12	प्रशासनिक अधिकारी	लिपिकीय संवर्ग सेवा	04
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा सेवा	01

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान- विभाग में वैतनिक, अवैतनिक कार्मिकों/अधिकारियों एवं होम गार्ड्स के प्रभावी प्रशिक्षण हेतु लखनऊ में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है, जिसमें प्रभारी अधिकारी के रूप में डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल प्रशिक्षण तैनात होते हैं, जो होम गार्ड्स मुख्यालय के नियंत्रणाधीन रहते हुए समस्त प्रकार के प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी होते हैं। डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल प्रशिक्षण के नियंत्रण/पर्यवेक्षण में प्रदेश के निम्नलिखित 12 मंडलों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जहाँ पर मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के होम गार्ड्स जवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र	नियंत्रक अधिकारी	मंडलीय मुख्यालय
1	आगरा	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	आगरा
2	आजमगढ़	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	आजमगढ़
3	अयोध्या	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	अयोध्या
4	बरेली	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	बरेली
5	कानपुर	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	कानपुर नगर
6	गोरखपुर	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	गोरखपुर
7	झांसी	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	झांसी
8	प्रयागराज	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	प्रयागराज
9	मुरादाबाद	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	मुरादाबाद
10	मेरठ	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	मेरठ
11	लखनऊ	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	लखनऊ
12	वाराणसी	मंडलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड 01	वाराणसी

परिक्षेत्रीय स्तर- विभाग में परिक्षेत्र स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु 03 परिक्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: पूर्वी परिक्षेत्र प्रयागराज, पश्चिम परिक्षेत्र आगरा एवं बुंदेलखंड परिक्षेत्र झांसी में स्थापित है, जो डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल स्तर के अधिकारी के नियंत्रणाधीन है। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मण्डलों में मण्डलीय कमाण्डेन्ट, ग्रेड-2/ग्रेड-1 तथा जनपदों में जिला कमाण्डेन्ट संवर्ग के अधिकारी तैनात होते है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र के अंतर्गत	
		मण्डल	जनपद
1	पूर्वी परिक्षेत्र प्रयागराज	1 प्रयागराज	प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर
		2 विंध्यांचल	मीरजापुर, संत रविदासनगर, सोनभद्र
		3 वाराणसी	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली

		4 आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया
		5 गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज
		6 बस्ती	बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर
		7 अयोध्या	अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर अमेठी, बाराबंकी
		8 देवीपाटन	गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच
2	पश्चिमी परिक्षेत्र आगरा	1 आगरा	आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी
		2 अलीगढ़	अलीगढ़, हाथरस, एटा
		3 बरेली	बरेली, बदॉयू, पीलीभीत, शाहजहॉपुर
		4 मुरादाबाद	मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सम्भल, बिजनौर
		5 मेरठ	मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, बागपत
		6 सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली
3	बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र झॉसी	1 झॉसी	झॉसी, जालौन, ललितपुर
		2. चित्रकूटधाम	बॉदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर
		3 कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, फतेहगढ़, औरैया

उक्त के अतिरिक्त लखनऊ मण्डल, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होम गार्ड्स मुख्यालय के नियंत्रणाधीन है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जनपद आते है:-

1	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होम गार्ड्स मुख्यालय	मण्डल	जनपद
		लखनऊ	लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव

अराजपत्रित संवर्ग- विभाग में शासकीय कार्यों के समयबद्ध निस्तारण तथा अधिकारियों के सहयोग हेतु समूह-ग व समूह-घ श्रेणी के विभिन्न पद निम्नानुसार स्वीकृत हैं—

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृत संख्या	तैनाती स्थल
1	वैयक्तिक सहायक ग्रेड 01	01	होम गार्ड्स मुख्यालय
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड 02	03	,,
3	प्रधान सहायक	06	होम गार्ड्स मुख्यालय/केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान
4	लेखाकार	04	होम गार्ड्स मुख्यालय
5	वरिष्ठ सहायक	72	होम गार्ड्स मुख्यालय सहित प्राय: समस्त कार्यालयों हेतु।

6	आशुलिपिक ग्रेड-3	04	होम गार्ड्स मुख्यालय, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंडलीय कमाण्डेन्ट कानपुर एवं आजमगढ़।
7	सहायक लेखाकार	01	होम गार्ड्स मुख्यालय
8	कनिष्ठ सहायक	315	होम गार्ड्स मुख्यालय सहित समस्त इकाईयों हेतु।
9	उर्दू अनुवादक	40	होम गार्ड्स मुख्यालय सहित समस्त इकाईयों हेतु।
10	निरीक्षक/कम्पनी कमांडर	54	केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 12 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र और 27 जिला कमाण्डेन्ट कार्यालय।
11	प्लाटून कमांडर	207	केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 12 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र और सभी जनपदों की नगरीय कंपनियों तथा जिला कमाण्डेन्ट के सहायक।
12	ब्लॉक आर्गनाइजर	794	समस्त जनपदों की ग्रामीण कंपनी हेतु।
13	कनिष्ठ प्रशिक्षक	07	केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान
14	हवलदार प्रशिक्षक	328	केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र और जनपदीय होम गार्ड्स कार्यालय।
15.	क्वॉटर गार्ड होम गार्ड्स	11	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
16.	पाइपबैण्ड कर्मी/बैण्डमैन/बिगुलर	16	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
17.	फार्मासिस्ट	01	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
18.	स्टाफ नर्स	01	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
19.	मोटर मैकेनिक	01	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
20.	ट्यूबवेल ऑपरेटर/सहायक ट्यूबवेल ऑपरेटर	02	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
21.	वाहन चालक	89	होम गार्ड्स मुख्यालय सहित समस्त इकाईयों हेतु।
22.	डिस्पैच राइडर	01	होम गार्ड्स मुख्यालय
23.	आरमोरर	02	होम गार्ड्स मुख्यालय (केन्द्रीय शस्त्रागार)
24.	समूह-घ संवर्ग- - 1- रनर, चौकीदार, अर्दली, दफ्तरी 2- ट्रेडसमैन- कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटरमैन, सैनिक कारपेंटर, टेन्टमैन, दर्जी, फटीकपार्टी मैन आदि।	1383	होम गार्ड्स मुख्यालय सहित समस्त इकाईयों हेतु।

होम गाड्र्स – उत्तर प्रदेश होम गाड्र्स संगठन में वर्तमान में होम गाड्र्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारियों का कम्पनी तथा प्लाटून की संख्या एवं जनशक्ति का विवरण निम्नानुसार हैं-

नगरीय कंपनी	ग्रामीण कंपनी	महिला कंपनी	महिला प्लाटून	कंपनी कमांडर	सहायक कंपनी कमांडर	प्लाटून कमांडर	होम गाड्र्स
326	788	24	60	1138	1110	3513	111276

प्रदेश में होम गाड्र्स कंपनियों की जनशक्ति-

कंपनी कमांडर	सहायक कंपनी कमांडर	प्लाटून कमांडर	होम गाड्र्स	योग
01	01	03	95	100

होम गाड्र्स/अवैतनिक अधिकारियों को अनुमन्य ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता, मानदेय एवं वर्दी भत्ता–

होम गार्डस जवान एवं अवैतनिक अधिकारियों को ड्यूटी/प्रशिक्षण पर प्रतिस्थापित होने की दशा में प्रतिदिवस ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता, वर्दी भत्ता एवं अवैतनिक अधिकारियों को प्रतिमाह मानदेय निम्नानुसार दिया जाता है:-

क्रम संख्या	पदनाम	दैनिक ड्यूटी भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता (रू0)	मानदेय प्रतिमाह (रू0)	वर्दी भत्ता (रू0)
1	कंपनी कमांडर	600 + राज्य सरकार द्वारा तत्समय देय महंगाई भत्ता	1490/-	3000/- प्रति तीन वर्ष पर
2	सहायक कंपनी कमांडर	600 + राज्य सरकार द्वारा तत्समय देय महंगाई भत्ता	1160/-	3000/- प्रति तीन वर्ष पर
3	प्लाटून कमांडर	600 + राज्य सरकार द्वारा तत्समय देय महंगाई भत्ता	990/-	3000/- प्रति तीन वर्ष पर
4	होम गाड्र्स	600 + राज्य सरकार द्वारा तत्समय देय महंगाई भत्ता	....	3000/- प्रति तीन वर्ष पर

बैजेज आफ रैंक –

1- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा धारण किये जा रहे बैजेज आफ रैंक:-

क्रम संख्या	पदनाम	धारण की जाने वाली वर्दी का विवरण
1.	उप महासमादेष्टा	1. अशोक स्तम्भ के साथ तीन पांच कोने के सफेद धातु के स्टार। 2. ब्लू कालर बैण्ड विद् सिल्वर लाइनिंग (पुलिस उप महानिरीक्षक के समान) 3. पी-कैप 4. पी-कैप में नीली पट्टी पर सफेद जरी एम्ब्रायडरी वाला उ०प्र० होम गार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज तथा नीली बैरेट कैप पर सफेद जरी एम्ब्रायडरी वाला उ०प्र० होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज। 5. बांये बाजू पर लाल-काला रंग पर उत्तर प्रदेश सरकार का पीली जरी का राज्य चिन्ह का मोनोग्राम। ऊपर के हिस्से में आधा लाल रंग तथा नीचे के हिस्से में आधा काला सोल्डर बैच सफेद धातु का यू०पी०एच०एस०। 6. वाहन के आगे तथा पीछे ब्लैक प्लेट पर एक पांच कोने का सफेद धातु का स्टार। 7. वाहन के बोनट पर लाल –काले रंग में राज्य सरकार के मोनोग्राम सहित झण्डा जिसका आकार पुलिस उप महानिरीक्षक के वाहन पर लगाये जाने वाले झण्डे के समान होगा।
2.	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/मण्डलीय कमाण्डेन्ट तथा उनके समकक्ष पदधारक	1. दो वर्ष तक की सेवा पर – अशोक क्राउन। 2. पी-कैप। कैप में उ०प्र० होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 3. नेवी ब्लू बैरेट कैप। कैप में उ०प्र० होम गार्डस लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का । 4. दो वर्ष से अधिक व पांच वर्ष से कम की सेवा पर – अशोक क्राउन एवं एक पांच कोने का सफेद धातु का स्टार।

		5. पी-कैप। कैप में उ०प्र० होम गार्डस लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 6. नेवी ब्लू बैरेट कैप। कैप में उ०प्र० होम गार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 7. पांच वर्ष की सेवा के पश्चात अशोक क्राउन एवं दो पांच कोने का सफेद धातु का स्टार। 8. नेवी बलू कालर बैण्ड विद सिलवर लाईनिंग। 9. पी-कैप/पी-कैप में नीली पट्टी पर सफेद जरी एम्ब्रायडरी वाला उ०प्र०होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज तथा बैरेट कैप पर सफेद एम्ब्रायडरी वाला उ०प्र०होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज। 10. नेवी ब्लू बैरेट कैप में नीली पट्टी पर सफेद जरी एम्ब्रायडरी वाला उ०प्र०होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज तथा बैरेट कैप पर सफेद एम्ब्रायडरी वाला उ०प्र०होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज। 11. बांये बाजू पर लाल-काला रंग पर उत्तर प्रदेश सरकार का पीली जरी का राज्य चिन्ह का मोनोग्राम। ऊपर हिस्से में आधा लाल रंग तथा नीचे के हिस्से में आधा काला। 12. सोल्डर बैच सफेद धातु का यू०पी०एच०एस०।
3	कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी/जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके समकक्ष पदधारक	1. (क) दो वर्ष से कम की सेवा पर एक-पांच कोने का सफेद धातु का स्टार। 2. पी-कैप। कैप में उ०प्र० होमगार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 3. नेवी ब्लू बैरेट कैप। कैप में उ०प्र० होम गार्ड्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 4. बांये बाजू पर लाल-काला रंग पर उत्तर प्रदेश सरकार का पीली जरी का राज्य चिन्ह का मोनोग्राम। ऊपर के हिस्से में आधा लाल रंग तथा नीचे के हिस्से में आधा काला। 5. (ख) दो से पांच वर्ष तक की सेवा पर-दो पांच कोने के सफेद धातु के स्टार।

		6. पी-कैप 7. नेवी ब्लू बैरेट कैप/कैप में उ०प्र० होम गाड्र्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 8. बांये बाजू पर लाल-काला रंग पर उत्तर प्रदेश सरकार का पीली जरी का राज्य चिन्ह का मोनोग्राम। ऊपर के हिस्से में आधा लाल रंग तथा नीचे के हिस्से में आधा काला। 9. (ग) पांच वर्ष से अधिक की सेवा पर-तीन पांच कोने के सफेद धातु के स्टार। 10. पी-कैप/कैप में उ०प्र० होम गार्डस लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 11. नेवी ब्लू बैरेट कैप/कैप में उ०प्र० होम गाड्र्स लिखा राज्य सरकार के मोनोग्राम वाला ताज सफेद धातु का। 12. बांये बाजू पर काल-काला रंग पर उत्तर प्रदेश सरकार का पीली जरी का राज्य चिन्ह का मोनोग्राम। ऊपर के हिस्से में आधा लाल रंग तथा नीचे के हिस्से में आधा काला। 13. सोल्डर बैच सफेद धातु का यू०पी०एच०एस०।

2- अराजपत्रित अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा धारण किये जा रहे बैजेज आफ रैंक:-

क्रम संख्या	पदनाम	धारण की जाने वाली वर्दी का विवरण
1.	इंसपेक्टर/कम्पनी कमाण्डर तथा उनके समकक्ष पदधारक	तीन पांच कोने के पीतल के स्टार रिबन के साथ।
2.	प्लाटून कमाण्डर तथा उसके समकक्ष पदधारक	दो पांच कोने के पीतल के स्टार रिबन के साथ।
3.	ब्लाक आर्गनाइजर तथा उसके समकक्ष पदधारक	एक पांच कोने का पीतल का स्टार रिबन के साथ।
4.	हवलदार एवं उसके समकक्ष सभी कर्मचारी	तीन फीते (सफेद रंग)।
5.	नायक हवलदार तथा समकक्ष	दो फीते (सफेद रंग)।
6.	लांस नायक	एक फीता (सफेद रंग)।
7.	समस्त वर्दीधारी पूर्णकालिक अधिकारी एवं कार्मिक सफेद रंग का यू०पी०एच०जी० बैज धारण करेंगे।	

3- अवैतनिक अधिकारी एवं होम गार्ड्स द्वारा धारण किये जा रहे बैजेज आफ रैंक:-

क्रम संख्या	पदनाम	धारण की जाने वाली वर्दी का विवरण
1.	कम्पनी कमाण्डर	तीन मैपिल लीफ
2.	कम्पनी सकेन्ड इन कमाण्ड	दो मैपिल लीफ
3.	प्लाटून कमाण्डर	एक मैपिल लीफ
4.	कम्पनी हवलदार मेजर	क्रास्ड रिबन तथा एक डिस्क कन्धे पर।
5.	कम्पनी क्वार्टर मास्टर	एक रिबन क्रास्ड कन्धे पर।
6.	सेक्शन लीडर	दो रिबन बार कन्धे पर।
7.	सहायक सेक्शन लीडर	एक रिबन बार कन्धे पर।
8.	होम गार्डस एवं अवैतनिक अधिकारी सफेद रंग का यू०पी०एच०जी० बैज धारण करेंगे।	

4- होम गार्डस विभाग के वैतनिक/अवैतनिक संवर्ग के समस्त पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा **"इन्सिग्निया"** (सम्मान सूचक चिन्ह) शासनादेश सं०-12/2023/245/पन्चानबे-2023 दिनांक 20-03-2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार, 1- सम्मान सूचक चिन्ह/प्रतीक चिन्ह-धातु संस्करण व 2- सम्मान सूचक चिन्ह/प्रतीक चिन्ह-कढ़ाई संस्करण के अनुरूप धारण किये जायेंगे।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं—

कल्याण कोष- होम गार्डस स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु होम गार्ड्स मुख्यालय स्तर पर उ०प्र० शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि से एक कल्याण कोष स्थापित है। कल्याण कोष की धनराशि से प्राप्त होने वाले ब्याज के उपयोग का नियमन किये जाने हेतु उ०प्र० होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली-2013 प्रख्यापित है। वर्तमान में कल्याण कोष हेतु उ०प्र० शासन द्वारा 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसके ब्याज से ड्यूटी के दौरान मृत होने की दशा में ऐसे प्रकरण जो बीमा से आच्छादित न हो, को वित्तीय सहायता, बीमार होम गार्ड्स को चिकित्सीय सहायता, अध्ययनरत मेधावी आश्रितों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति इत्यादि दिए जाने का प्राविधान है।

अनुग्रह राशि एवं आश्रित भर्ती- सेवाकाल में, किसी भी प्रकार से असामयिक मृत्यु/स्थाई अपंगता की स्थिति में होम गार्ड्स/अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रितों को 05 लाख रूपए/2.5 लाख रुपए एवं पात्र आश्रितों को होम गार्ड के अवैतनिक पद पर चयनित किए जाने का प्राविधान है।

दुर्घटना बीमा योजना- होम गार्ड्स जवानों एवं अवैतनिक अधिकारियों को उनके सेवाकाल के दौरान होने वाली असामयिक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप आने वाली गंभीर आर्थिक परेशानियों के समाधान स्वरूप प्रमुख

बैंकों यथा- एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में स्वैच्छिक आधार पर जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने का आह्वान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना होने की स्थिति में होम गार्ड्स/अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रितों को स्थाई अपंगता की स्थिति में 15 लाख रूपए तथा मृत्यु की स्थिति में 30 लाख से 40 लाख रूपए तक सम्बन्धित बैंक द्वारा प्राप्त कराया जाता है।

होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के कार्य एवं प्रतिस्थापन -

(अ) कार्य- उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम- 1963 के धारा- 04 में होम गार्ड्स के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है-

- वे पुलिस बल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायता करेंगे।
- वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे।
- वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए, जो नियत किये जायें, आपातकालीन बल के रूप में कार्य करेंगे।
- वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाईयों की व्यवस्था करेंगे और
- वे लोक-कल्याण के किसी कार्य से संबद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायें।

(ब) होम गार्डस को बुलाना:-

होम गार्ड्स अधिनियम के धारा- 08 के बिंदु (अ) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत-

- जिला मजिस्ट्रेट (या जिला कमाण्डेन्ट) आदेशों द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होम गार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिए बुला सकता है।
- होम गार्ड्स का कमाण्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाये, किसी होम गार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिये बुला सकता है।

ड्यूटी प्रतिस्थापन प्रणाली- होम गार्ड्स के समस्त सेवा सम्बन्धी विवरण एवं ड्यूटी प्रतिस्थापन सम्बन्धी डेटाबेस विभागीय पोर्टल (homeguard.up.gov.in) पर उपलब्ध है तथा प्रत्येक माह होम गार्डस की विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों का प्रतिस्थापन पूर्णरूपेण साफ्टवेयर के माध्यम से सफलता पूर्वक किया जा रहा है। होम गार्डस को प्रत्येक माह उसके मोबाईल पर मैसेज द्वारा ड्यूटी स्थल की सूचना प्राप्त हो जाती है। होम गार्ड्स की ड्यूटी स्थल पर उपस्थिति/अनुपस्थिति, सम्बन्धित यूजर द्वारा अपने यूज़र आई०डी० एवं रजिस्टर

मोबाईल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओ०टी०पी० के माध्यम से प्रतिदिन लॉगिन कर, दर्ज की जा रही है। ड्यूटी माह की समाप्ति के आगामी माह की 05 तारीख तक ऑनलाइन जनरेट किये गये मस्टररोल सीधे जिला कमाण्डेन्ट को ऑनलाइन सबमिट किये जाने की व्यवस्था है तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ ड्यूटी भत्तों का भुगतान भी कोषागार के माध्यम से प्रतिमाह ऑनलाइन कराया जा रहा है। उक्त ऑनलाइन मस्टररोल जनरेशन, ऑनलाइन सबमिशन व भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था लागू किये जाने से होम गाड्र्स जवानों के ड्यूटी भत्ता भुगतान में पारदर्शिता एवं शीघ्रता सुनिश्चित हुई है।